न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—12/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/12)

1. नन्दलाल पुत्र श्योलाल
2. नोसर पुत्री भंवरलाल
3. भीमराज पुत्र श्योलाल
4. सोना पुत्री श्योलाल नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता शांतीदेवी
5. रमेश पुत्र भंवरलाल मृतक जरिए वारिसान—
   5/1 नारायणी बेवा रमेश
   5/2 राहुल पुत्र रमेश)
   5/3 छोटू पुत्र रमेश) समस्त नाबालिगान जरिए माता नारायणी
   5/4 सुगना पुत्री रमेश) बेवा रमेश
   5/5 सोना पुत्री रमेश)
   5/6 मंशा पुत्री रमेश)
6. लांच्छा पत्नी भंवरलाल
7. विमला पुत्री श्योलाल
8. शांति पुत्री श्योलाल
9. शारदा पुत्री भंवरलाल
10. सुमन पुत्री श्योलाल

    समस्त जाति गुर्जर निवासीगण छातड़ी तहसील व जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. तेजाराम पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर निवासी छातड़ी तहसील व जिला अजमेर
2. पप्पू पुत्र रामकिशन
3. भूरी पुत्री रामकिशन
4. मनभर पुत्री रामकिशन
5. श्रवणी पत्नी रामकिशन

   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण छातड़ी तहसील व जिला अजमेर
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, अजमेर
7. रणजीत पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी छातड़ी तहसील व जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी , अजमेर विरूद्ध आदेश दिनांक 09.10.2020 राजस्व वाद संख्या 16/2019

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एन0एस0राजावत अभिभाषक, रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पो0संख्या 06
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 6 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः—08.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 16/2019 में पारित दिनांक 09.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। गैरआवेदकगण–रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4, 5– रमेश पुत्र भंवरलाल जिसका कि दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र देहांत हो गया 6 लगायत 10 एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 एवं गैरआवेदकगण रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 6, अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। 25.11.2020 से पत्रावली को बिना अपीलांटस को नोटिस सूचना दिए प्रिपोण्ड करते हुए दिनांक 9.10.2020 को लोक अदालत केम्प कोर्ट घूघरा में नियत करते हुए दिनांक 9.10.2020 को ही तहसीलदार अजमेर से केम्प कोर्ट में बिना उभय पक्षों को सूचित किए प्रार्थना पत्र के संबंध में एकपक्षीय मौका पर्चा प्राप्त कर आवेदक–रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं रेस्पोडेट संख्या 7 को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 9.10.2020 से प्रार्थना पत्र को एकपक्षीय स्वीकार कर अपीलांटस के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1047 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे खसरा संख्या 1042 में 12 फुट चौडा गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का निर्णय पारित करते हुए रास्ता की भूमि बाबत डीएलसी दर तलब कर कीमत से दो गुणा राशि आवेदक रेस्पोडेंट संख्या 1 से गैरआवेदकगण–अपीलांटस को संदाय करने हेतु भुगतान निर्णय पारित कर, साथ ही राशि न लेने पर राजकोष मे जमा कराई जाने के भी निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 16/2019 में पारित दिनांक 09.10.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गए प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र गैर आवेदक संख्या 6 रमेश पुत्र भंवरलाल दिनांक 19.9.2020 को देहांत हो गया था। आवेदक रेस्पोडेंट संख्या 1 ने आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानानुसार मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने बाबत निर्णय जेर अपील तक कोई कानूनी कार्यवाही नही की। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक रमेश पुत्र भंवरलाल के विरूद्ध निर्णय जेर अपील पारित कर दिया जो नलेटी होकर शून्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 3.10.2020 की पेशी तक प्रिम्योचर स्टेज पर चल रहा था जो गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के लिए परिपक्कव नही था। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए नियत पेशी दिनांक 25.11.2020 पूर्व प्रकरण को अपीलांटस को बिना नोटिस बिना सूचना दिए प्रिपोण्ड कर दिनांक 9.10.2020 को लोक अदालत केम्प घूघरा में नियत कर अपीलाटस को बिना जवाब सुनवाई का अवसर दिए एकपक्षीय निर्णय जेर अपील पारित कर दिया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक अदालतों में उन्हीं प्रकरणों को सुना जाना था, जिन प्रकरणों में उभय पक्षों ने राजीनामा न्यायालय मे लिखित में प्रस्तुत कर दिया गया हो व राजीनामा से निर्णय करवाना चाह रहे हो या लोक

अदालत में सहमति से निर्णय करवाना चाह रहे हो। मौजूदा प्रकरण में न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई राजीनामा व सहमति उभय पक्षों की आरे से लिखित में प्रस्तुत नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी करने के बाद दिनांक 18.3.2020, 29.4.2020, 8.7.2020, 26.8.2020 एवं 7.10.2020 की पेशीयां पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने अवकाश पर होने एवं अभिभाषकों के हड़ताल के कारण तब्दील की जाकर आवेदक/रेस्पोडेंट संख्य 1 को न तो शेष के नोटिस प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए व ना ही अपीलांटस का जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करने के बाद तहसीलदार अजमेर से धारा 251 ए के परन्तुकों की पालना में उभयपक्षों की उपस्थिति में रास्ता कायमी बाबत मौका पर्चा मगवाए जान के आदेश भी दिनांक 9.10.2020 तक पारित नहीं किए थे जो कि प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करने के बाद निर्णय के लिए आज्ञापक था। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 9.10.2020 के दिन तहसीलदार, अजमेर से लोक अदालत केम्प घूघरा में बैठे–बैठे मौका पर्चा तैयार करवा लिया और उसके आधार पर दूषित एवं बैड इन लॉ निर्णय जेर अपील पारित कर दिया जो कतई विधिक नहीं है। क्योंकि तहसीलदार अजमेर ने रास्ता बाबत मौका पर्चा से पूर्व न तो अपीलांटस को उपस्थित होने के कोई नोटिस दिए व ना ही अपीलाटस की उपस्थित में रास्ता मौका पर्चा तैयर किया। एकपक्षीय रास्ता मौका पर्चा को निर्णय का भाग बनाकर अपीलांटस के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1047 में रेस्पोडेंट के आराजी खसरा संख्या 1042 तक 12 फुट चौडा रास्ता कायम करने का निर्णय प्रदान कर दिया जो निर्णय परवर्स, आरवीटेरी एवं कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने से निरस्तनीय है। अपीलांटस की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1047 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता उपयोग–उपभोग में नहीं लिया था। ना ही भौतिक रूप से रास्ता मौके पर उपलब्ध ही रहा है। रेस्पोडेंट मौके व राजस्व रिकार्ड में रास्ता नहीं होने से अपीलांटस की खातेदारी भूमि में से आनाजाना नहीं करते थे। आवेदक/रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं उसके अन्य सह खातेदारान अन्य पड़ौसी खातेदारान की भूमि में से अपने खातेदारी की भूमि पर कदीमी से उपलब्ध रास्ता का उपभोग उपयोग करते चले आ रहे है जो आज भी कायम है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम एवं पटवार हल्का छातडी में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि अवस्थित है। जो जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार खाता संख्या नया व पुराना 427 तथा खसरा संख्या 1042 एवं 1048 हैं। ग्राम छातडी में असल प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि अवस्थित है। जिसका जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार खाता संख्या नया व पुराना 303 तथा खसरा संख्ण 1047 है। नजरी नक्शो के अनुसार अप्रार्थी के खसरा संख्या 1042 के पश्चिम में पक्की नहर तथा पूर्व में प्रार्थीगण का खसरा संख्या 1047 तावाद मुख्य आम रास्ता है। जो ग्राम छातडी में जाता है। अप्रार्थी के खसरा संख्या 1042 में अप्रार्थी का रहवासी आवास बना हुआ है। जिस पर आने जाने हेतु प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1047 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे रास्ते का उपयोग किया जाता है। धारा 251 ए एवं इस हेतु बने नियमों के अनुसार अप्रार्थी को स्थाई तौर पर 30 फुट रास्ते कि आवश्यकता है तथा सबसे नजदीकी कम भूमि हानि एवं सुगम तथा सीधा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1047 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उत्तरी सीमा बिंदु ए से बी से ही संभव है इसके अलाव अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग संभव नहीं हैं। अतः राजस्व ग्राम एवं पटवारी हल्का छातडी में स्थित अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1042 एवं 1048 में आने जाने हेतु प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1047 कि उत्तरी सीमा के सहारे सहोर नजरी नक्शों के अनुसार बिन्दु संख्या ऐ से बी तक 30 फुट का रास्ता प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी/काश्तकारी आराजी बाबत् आने जाने हेतु रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0काश्तकारी अधिनियम दिनांक 18.12.2019 को प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये थे। उक्त पत्रावली अप्रार्थी के जवाब एवं नोटिस में विचाराधीन थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को दिनांक 09.10.2020 को कोर्ट कैम्प घूघरा में सुनवाई हेतु रखा गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान/अभिभाषकगण को सम्यम् रूप से उक्त पत्रावली के कैम्प कोर्ट के नोटिस तामील करवाये बिना ही उक्त आदेश दिनांक 09.10.2020 पारित कर दिया जो कि नैर्सिग न्याय एवं प्राकृतिक नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किया जाना प्रतीत होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर विवादित आराजी बाबत् सम्बन्धी तहसीलदार, अजमेर द्वारा दिनांक 09.10.2020 को मुर्तिब मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट बिना पक्षकारान की उपस्थिति में मुर्तिब की गई है। जो विधि सम्मत नही है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 16/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्ररकण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजी बाबत् सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्धारित नियम 69 की पालना करते हुए, मौका रिपोर्ट तलब कर तथा उक्त मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर उक्त आपत्ति का विधिवत् रूप से निस्तारण किया जाकर उभयपक्ष को समुचित जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए उक्त प्रकरण का गुणावगुण पर पुनः निर्णित पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.1.2023 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर